कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट–सोनभद्र ।

पत्रांकः 636 / रेनुकूट / 15–31 दिनांक,रेनुकूट,अगस्त, 24, 2021

सेवा में,

सी0ओ0ओ0
मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0
रेनुकूट–सोनभद्र ।

विषयः जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत मे0 रेणुसागर पावर कम्पनी को ऐश डिस्पोजल यार्ड के निर्माण हेतु 10 वर्षो की लीज (21.06.2009 से 20.06.2019 तक के लिये) दी गयी 61.2348 हे0 वनभूमि के लीज का पुनः 10 वर्षो हेतु (दिनांक– 21.06.2019 से 20.06.2029 तक) नवीनीकरण के संबंध में ।

संदर्भः
1– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, एफ0सी0 डिविजन, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरग बाग रोड अलीगंज नई दिल्ली की फाईल संख्या– 8–05 / 1993–एफ0सी0(पी0टी0.1) दिनांक– 15.07.2021
2–मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्र संख्या– 200 / 11–सी FP/UP/IND/39403/2019 दिनांक–16.07.2021
3–इस कार्यालय का पत्रांक– 183 / रेनुकूट / 15–31 दिनांक– 17.07.2021
4–संस्थान का पत्र दिनांक– 28.07.2021
5–इस कार्यालय का पत्रांक– 379 / रेनुकूट / 15–31 दिनांक– 30.07.2021
6–संस्थान का पत्र दिनांक– 02.08.2021
7–इस कार्यालय का पत्र संख्या– 447 / रेनुकूट / 15–31 दिनांक–06.08.2021
8–प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर का पत्रांक– 318 / 33–1दि0 07.08.2021
9–इस कार्यालय का पत्रांक– 458 / रेनुकूट / 15–31 दिनांक– 09.08.2021
10–संस्थान का पत्र दिनांक–13.08.2021
11–इस कार्यालय का पत्रांक– 552 / रेनुकूट / 15–31 दिनांक– 13.08.2021
12–संस्थान का पत्र दिनांक– 17.08.2021

महोदय,

विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें । प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार द्वारा माँगी गयी वांछित सूचना/अभिलेख टेबुलर फार्म के माध्यम से पाँच प्रतियों मे उपलब्ध कराने हेतु संस्थान से अनुरोध किया गया । संस्थान द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में पूर्ण सूचना/अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने पर इस कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक– 06.08.2021 द्वारा यह अनुरोध किया गया कि वांछित अभिलेख प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग से प्राप्त करते हुए संशोधित बिन्दुवारी सूचना/अभिलेख टेबुलर फार्म मे उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि उच्च स्तर के माध्यम से भारत सरकार की सेवा में प्रेषित की जा सकें ।

2– प्रभाग के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक– 06.08.2021 के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर ने अपने संदर्भित पत्र दिनांक– 07.08.2021 जो अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित है तथा संस्थान को पृष्ठांकित है, के द्वारा अवगत कराया गया कि "संस्थान द्वारा ग्राम–पेढ एवं पुरना में उपलब्ध करायी गयी 57.559 हे0 गैर वन भूमि से संबंधित तरमीमी नक्शा उपलब्ध न होने के कारण प्रश्नगत गैर वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–4 के अन्तर्गत विज्ञप्ति जारी कराये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करना संभव नही हो पा रहा है । उक्त तरमीमी मानचित्र संस्थान के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु अवगत कराया गया ।

3– उक्त के क्रम में इस कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक– 09.08.2021 द्वारा तरमीमी नक्शा उपलब्ध कराने हेतु संस्थान से अनुरोध किया गया । संस्थान के संदर्भित पत्र दिनांक– 13.08.2021 द्वारा तरमीमी मानचित्र उपलब्ध न कराते हुए वस्तु स्थिति से शासन को अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया जो कि नियमानुसार नही था क्योकि पकरण से संबंधित वांछित सूचना/अभिलेख भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक– 15.07.2021 द्वारा माँगी गयी है न कि उ0प्र0 शासन द्वारा । संस्थान द्वारा भारत सरकार के स्तर से जारी दिशा निर्देशो का अनुपालन न करके प्रश्नगत वन भूमि को संस्थान के पक्ष में आगामी 10 वर्षो हेतु पुनः नवीनीकरण कराना चाहता है ।

4– प्रश्नगत प्रकरण में प्रभाग के संदर्भित पत्र दिनांक– 13.08.2021 द्वारा संस्थान से यह अनुरोध किया गया कि प्रकरण में संस्थान द्वारा कैमूर वन्य जीव प्रभाग में उपलब्ध कराये गये 57.57 हे0 गैर वन भूमि से संबंधित तरमीमी मानचित्र की पाँच प्रति प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग को एवं पाँच प्रति रेनुकूट वन प्रभाग में उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग द्वारा भारत सरकार के निर्देशानुसार गैर वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–4 के अन्तर्गत विज्ञप्ति जारी कराये जाने हेतु प्रस्ताव उच्च स्तर के माध्यम से उ0प्र0 शासन को प्रेषित की जा सकें ।

5– प्रभाग के उक्त पत्र दिनांक– 13.08.2021 के क्रम में संस्थान के संदर्भित पत्र दिनांक– 17.08.2021 जो कि जिलाधिकारी सोनभद्र उ0प्र0 को सम्बोधित है तथा अधोहस्ताक्षरी एवं प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर को पृष्ठांकित है, के द्वारा तरमीमी नक्शा प्रदान करने हेतु अनुरोध करते हुए उसे परिवेश पोर्टल पर अपलोड

Scanned with CamScanner

कर दिया गया है जिसके कारण प्रकरण प्रभाग के स्तर पर लम्बित प्रदर्शित हो रहा है जो कि नियमानुसार है नही तथा भारत सरकार /उच्च स्तर /प्रभाग स्तर से जारी निर्देशो का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है ।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि प्रश्नगत प्रकरण में संस्थान द्वारा उपरोक्तानुसार कैमूर वन्य जीव प्रभाग में उपलब्ध कराये गये 57.559 हे0 गैर वन भूमि से संबंधित तरमीमी मानचित्र की पाँच प्रति प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग को एवं पाँच प्रति रेनुकूट वन प्रभाग में उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–4 के अन्तर्गत विज्ञप्ति जारी कराये जाने हेतु प्रस्ताव उच्च स्तर के माध्यम से उ0प्र0 शासन को प्रेषित की जा सकें । उक्त कार्यवाही के उपरान्त भारत सरकार द्वारा माँगी गयी वांछित सूचना/अभिलेख टेबुलर फार्म में बिन्दुवार उपलब्ध कराने के उपरान्त परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें । भारत सरकार द्वारा माँगे गये वांछित अभिलेख दिनांक– 10.09.2021 तक उपलब्ध नही कराया जाता है तो यह मान लिया जायेगा कि संस्थान द्वारा भारत सरकार/उच्च स्तर/प्रभाग स्तर से जारी निर्देशो का अनुपालन जानबूझकर न करते हुए प्रश्नगत वन भूमि को आगामी 10 वर्षो हेतु पुनः नवीनीकरण कराने हेतु दबाव बनाया जा रहा है । निर्धारित अवधि के अन्दर वांछित कार्यवाही पूर्ण न किये जाने पर प्रश्नगत नवीनीकरण प्रस्ताव को निरस्त करने हेतु प्रकरण उच्च स्तर के माध्यम से भारत सरकार की सेवा में प्रेषित करने हेतु बाध्य होना पडेगा जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी संस्थान की होगी ।

भवदीय

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

संख्या– 636 अ/सम दिनांकित ।

1– प्रतिलिपिः मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ की सेवा में सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि संस्थान द्वारा भारत सरकार के अपेक्षानुसार भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–4 के अन्तर्गत विज्ञप्ति प्रस्ताव प्रेषित किये जाने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग द्वारा माँगे गये तरमीमी मानचित्र उपलब्ध नही कराया जा रहा है तथा विना इसके उ0प्र0 शासन/भारत सरकार को सूचना प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया जा रहा है जो कि नियमानुसार नही है । अतः अपने स्तर से भी संस्थान को आवश्यक निर्देश जारी करने की कृपा करें ताकि प्रकरण में पूर्ण अभिलेख संस्थान से उपलब्ध होने पर उच्च स्तर के माध्यम से भारत सरकार की सेवा में प्रेषित की जा सकें ।

2– प्रतिलिपिः मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर की सेवा में सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि संस्थान द्वारा भारत सरकार के अपेक्षानुसार भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–4 के अन्तर्गत विज्ञप्ति प्रस्ताव प्रेषित किये जाने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग द्वारा माँगे गये तरमीमी मानचित्र उपलब्ध नही कराया जा रहा है तथा विना इसके उ0प्र0 शासन/भारत सरकार को सूचना प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया गया है जो कि नियमानुसार नही है । प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार के स्तर से वांछित सूचना /अभिलेखो की माँग की जा रही है जिसे संस्थान द्वारा उपलब्ध न कराते हुए केवल नवीनीकरण कराने हेतु दबाव बनाया जा रहा है । अतः अपने स्तर से भी संस्थान को आवश्यक निर्देश जारी करने की कृपा करें ताकि प्रकरण में पूर्ण अभिलेख संस्थान से उपलब्ध होने पर उच्च स्तर के माध्यम से भारत सरकार की सेवा में प्रेषित की जा सकें ।

3– प्रतिलिपिः प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

Scanned with CamScanner